झालावाड़

दि. 1.4.26 लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त केवलसिंह व कालूलाल पर प्रकाशन का अधिकारी अधिवक्ता द्वारा शेष क्र० व० हाजरी माफी पेश की गई जो हाल के हाजरी माफी पेश की गई। वादिका अनुपस्थित बिना इत्तिला की गई। वादिका अनुपस्थित होने के कारण अ० 8 नवम्बर को अगले आदेश तक रिपोर्ट पेश नहीं की। अतः आगे की कार्यवाही हेतु अ० 8 नवम्बर को मौखिक पर्याप्त व तामिला प्रमाण होने का नोट लगाया जावे। आरोपी पर्याप्त पेश होने F.S.L रिपोर्ट। प्रकाशन मुल्तवी कर दि. 18.4.26 को पेश हो।

सेशन न्यायाधीश
झालावाड़ 326001.